सेवा में

श्रीमान् कुलपति महोदय
तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय
भागलपुर।

**विषयः– विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या– 155/2024 दिनांक 20.11.2024 को अविलंब वापस लेने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित मामले में सादर अनुरोध करना है कि विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश संख्या– 155/2024 दिनांक 20.11.2024 के द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय के 7 कर्मियों को नियम के विरूद्ध महाविद्यालयों में स्थानान्तरित किया गया है इस संबंध में श्रीमान को निम्नांकित तथ्य से अवगत करान चाहता हूँ।

दिनांक 12.11.2024 को तात्कालिन कुलसचिव डा० विकास चन्दा द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मियों के साथ अशोभनीय अभद्र व्यवहार करते हुए कर्मी के साथ गाली–गलौज किया गया एवं कर्मियों का मोबाईल छीना छपटी करने लगे।

विश्वविद्यालय कर्मी वेतन भुगतान हेतु तात्कालीन कुलसचिव महोदय को अनुरोध करने हेतु उनके कक्ष में गये थे। क्योंकि कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 30.10.2024 को हिन्दु का महापर्व दीपावली एवं छठ को ध्यान में रखते हुए वेतन भुगतान का आदेश दिया गया था। लेकिन कुलसचिव बीमारी का बहाना बनाकर पटना से मुख्यालय नहीं आये जिसके कारण कर्मियों को महापर्व के अवसर पर वेतन भुगतान नहीं हो सका।

तात्कालीन कुलसचिव दिनांक 12.11.2024 को मुख्यालय आये तो शिक्षकेत्तर कर्मियों ने वेतन भुगतान हेतु मिलने के लिए उनके कक्ष में गया और वेतन भुगतान करने का अनुरोध किया इस पर तात्कालीन कुलसचिव महोदय भड़क गये और कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए कर्मियों का मोबाईल छीन लिये और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए वेतन में 2% बतौर घूस की माँग की गयी तभी OTP देगें।

उल्लेखनिय है कि पेंशन का OTP दे दिया गया एवं कार्यरत कर्मियों के वेतन का OTP देने से इंकार कर दिया इस पर कर्मचारियों के साथ बहस हो गयी और कुलसचिव द्वारा अर्मयादित भाषा का प्रयोग किया गया साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय थाना में FIR दर्ज कर दिये। जबकि हम कर्मचारी पूर्णतः निर्दोष है।

परन्तु खेद के साथ सूचित करना है कि तात्कालीन कुलसचिव पर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं की गयी जबकि तात्कालीन कुलसचिव के आचरण एवं व्यवहार से कुलपति महोदय भी भली भाँति अवगत है, पूर्व में कुलसचिव से कई बार कारण–पृच्छा भी की गयी है। इसको ध्यान में रखते हुए हम कर्मियों के

साथ एकतरफा निर्णय लेते हुए विश्वविद्यालय के 7 कर्मियों को विश्वविद्यालय मुख्यालय से अन्यत्र महाविद्यालय में स्थानान्तरित कर दिया गया जो राजभवन के आदेश के प्रतिकूल है।

अतः विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध इकाई के सभी शिक्षकेत्तर कर्मी अपना हस्ताक्षर करते हुए अनुरोध करते है कि पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या– 155/2024 दिनांक 20.11.2024 को अविलंब 02 दिनों (24 घंटे) के अन्दर वापस लिया जाय तथा तात्कालीन कुलसचिव डा० विकास चन्द्रा के विरूद्ध कर्मचारियों के साथ किये गये अभद्र व्यवहार, गाली–गलौज एवं अमर्यादित व्यवहार पर FIR करने की अद्यतन कार्रवाई की जाय अन्यथा विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध इकाई के शिक्षकेत्तर कर्मी विश्वविद्यालय के दैनिक कार्यो का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे, जिसकी सारी जबावदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी।

हम विश्वविद्यालय कर्मियों के साथ न्याय करने की कृपा की जाय।

विश्वस्त
विश्वविद्यालय कार्यालय,
सम्बद्ध इकाई एवं
स्नातकोत्तर विभाग के सभी कर्मचारीण

प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. श्री वैधनाथ यादव, सचिव, उच्च शिक्षा, बिहार सरकार, पटना,
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार सरकार, पटना को इस अनुरोध के साथ की विश्वविद्यालय कर्मियों के साथ तात्कालीन कुलसचिव डा० विकास चन्द्रा के द्वारा किये गये अभद्र व्यवहार, गाली गलौज एवं अनावश्यक FIR दर्ज करने पर उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।
3. कुलानुशासक/कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ,
4. अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ, पटना,
5. प्रक्षेत्रीय मंत्री, बिहार राज्य महाविद्यालय कर्मचारी संघ,
6. जिलाधिकारी, भागलपुर,
7. वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर।

कर्मचारीगण

1. [signature]
2. [signature]
3. [signature]
4. [signature]
5. [signature] 8.11.24
6. [signature] 8.11.24
7. [signature]
8. [signature]

9. [illegible]
10 उमेश मंडल
11 [illegible]
12 [illegible]
13 [illegible]
14 [illegible] प्रसाद
15 राहुल कुमार सिंह
16 [illegible]
17 Md. Ameer Faisal
18 Meeba Kumari
19 रानी देवी
20 [illegible]
21 वरुण
22 [illegible]
23 चाँद कुमार
24 [illegible]
25 [illegible]
26 [illegible]
27 रंजन कुमार शर्मा
28 चंदा कुमारी
29 निरंजन शर्मा
30 Rishabh
31 [illegible]
32 [illegible]
33 [illegible]
34 [illegible]
35 [illegible]
36 [illegible]
37 [illegible]
38 प्रशांत कुमार
39 सुमन कुमार
40 [illegible]
41 Kiran Kumari
42 [illegible]
43 Ajay Kr. Mandal
44 M. S. Ansari
45 [illegible]
46 Ravindra
47 [illegible]
48 [illegible]
49 [illegible]
50 [illegible]
51 [illegible]
52 [illegible]
53 [illegible]
54 गोपाल मंडल
55 [illegible]
56 Sanjay Kumar
57 [illegible]
58 [illegible]
59 [illegible]
60 [illegible]

(61) [illegible]
62) [illegible]
63) राकेश कुमार
(64) [illegible]
(65) अजय कुमार राय
(66) Rajendra
(67) मनोज कुमार
(68) दिनेश प्रसाद सिंह
(69) महेन्द्र मंडल
(70) Madan Kumar Mandal
(71) Amit
(72) योगेन्द्र [illegible]
73 लालू मंडल
74 Balu Ram
75 महेन्द्र कुमार निराला
76 सुबोध चौधरी
77 प्रवीण [illegible]
78 राजेश कुमार
79 अभिजीत कुमार
(80) [illegible]
(81) [illegible]
82 रमण कुमार
83 [illegible]
84 मनोज कुमार
85 ~~[illegible]~~
86 अपूर्णा भारती
87 [illegible]
88 आ[illegible]
89 रविन्द्र [illegible]
90 सुमन कुमार
91 Subham kr.
92 Azhar Alam
93 Amit kr
94 [illegible]
95. [illegible]
96. जगदीश
97. राजेन्द्र यादव
98. [illegible]
99. [illegible]
100. [illegible]
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110